

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर बाघ परियोजना-II करौली

विषय :- Construction of Widening ,Strengthening on Kranapur Mandrail -Ond-
Chandelipura Road (MDR-3A) From Kranpur MDR-3A KM Stone No-00.00 to
MDR-3A KM Stone No-34.00, Tehsil-Mandrail, District -Karauli (Rajasthan)
Proposal No. FP/RJ/ROAD/148609/ 2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ () 2021-22/एफ.सी.ए/उपसंआरटीआर-II/707
दिनांक 04.03.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/148609/2021 का आप द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त आपके कार्यालय पत्र क्रमांक: एफ () 2021-22/एफ.सी.ए/उपसं आरटीआर-II/707 दिनांक 04.03.2022 द्वारा कुछ कमियां बताई गई है। जिनकी बिन्दुवार पूर्ति कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	प्रस्तावित क्षेत्र की फोरेस्ट स्वीकृति से पहले वन्यजीव स्वीकृति आवश्यक है।	फोरेस्ट स्वीकृति प्रस्ताव भी वन्यजीव स्वीकृति के समानान्तर प्रक्रियाधीन है। वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय गैर वनभूमि का आवंटन भी नहीं करवाया गया है।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्ताव की स्टेज द्वितीय के साथ पालना रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जावेगा। एवं गैर वनभूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3.	अतः प्रस्तावित चौड़ाई सहित समस्त क्षेत्र की वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त कर, प्राप्त वन्यजीव स्वीकृति अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट तथा प्रस्तावित वन भूमि के खसरा डिटेल्स अनुसार गणना कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय गैर वनभूमि के आवंटन की प्रति एवं तरमीम राजस्व खसरा मैप, जीओ रेफरेंस मैप, जीटी शीट मैप सहित समस्त दस्तावेजों की पूर्णता के साथ ही प्रस्ताव को पुनः अग्रेषित करावें।	वन्यजीव स्वीकृति में अगर कोई संशोधन आता है तो प्राप्त वन्यजीव स्वीकृति अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट तथा प्रस्तावित वन भूमि के खसरा डिटेल्स अनुसार गणना कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय गैर वनभूमि के आवंटन की प्रति एवं तरमीम राजस्व खसरा मैप, जीओ रेफरेंस मैप, जीटी शीट मैप सहित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।
4.	कृपया प्रस्तावित संपूर्ण क्षेत्र की वन्यजीव स्वीकृति, एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट एवं खसरा डिटेल्स अनुसार क्षेत्र गणना सहित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय गैर वनभूमि के आवंटन की प्रति एवं तरमीम राजस्व खसरा मैप, जीओ रेफरेंस मैप	फोरेस्ट स्वीकृति प्रस्ताव भी वन्यजीव स्वीकृति के समानान्तर प्रक्रियाधीन है। वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी। एवं गैर वनभूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


अधिशायी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड-सपोटरा
जिला-करौली
 अधिशायी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड सपोटरा